

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2761

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

**सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को सी.एस.आर. वित्तपोषण**

**2761. श्री नव कुमार सरनीया:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) और स्वायत्तशासी निकायों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नाम क्या हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग पीएसयू द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत व्यय की गई निधि की मात्रा कितनी है और किन-किन क्षेत्रों में यह निधि व्यय की गई है;
- (ग) उन संगठनों और कार्यक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें विगत चार वर्षों के दौरान उक्त सभी पी.एस.यू. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत निधि जारी की गई है; और
- (घ) गत तीन वर्षों के दौरान सभी पी.एस.यू. द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और किन-किन समाचार-पत्रों में उक्त विज्ञापन जारी किए गए हैं?

**उत्तर**

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2773

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

फलाई-ऐश

2773. श्री शान्तनु ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम-बंगाल सहित देश में विभिन्न विद्युत स्टेशनों में कोयले के जलने के कारण कुल कितनी फलाई-ऐश उत्पन्न हो रही है;
- (ख) विद्युत स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा उक्त फलाई-ऐश से निपटने के लिए क्या प्रबंध किया गया है;
- (ग) क्या फलाई-ऐश से कोई उप-उत्पाद बनाए जाते हैं और यदि हां, तो इससे विद्युत स्टेशनों को कितना लाभ प्राप्त होता है; और
- (घ) क्या फलाई-ऐश से कोई प्रदूषण होता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न विद्युत स्टेशनों में कोयला जलाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित फलाई ऐश की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष (अप्रैल से मार्च)	फलाई ऐश का कुल उत्पादन (मिलियन टन)
1.	2015-16	176.74
2.	2016-17	169.25
3.	2017-18	196.44

(ख) : थर्मल पावर स्टेशनों में फलाई ऐश के रखरखाव एवं निस्तारण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं:

- वैट ऐश हैण्डलिंग सिस्टम
- हाई कन्सेन्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी)
- ड्राई फलाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम

(ग) : देश में उत्पादित फलाई ऐश का प्रयोग सीमेंट, ईटें एवं टाइल्स और कंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न अन्य परियोजनाओं जैसे कि खदानों को भरने निचले क्षेत्रों के भराव, सड़कों एवं फलाई ओवरों, तटबंधों के निर्माण के लिए, कृषि, जल विद्युत क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में किया जाता है।

ऐश उपलब्धता एवं उपयोग वेब पोर्टल के आंकड़ों (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त की गई राशि और वहन किए गए व्यय का मासिक ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) : विद्युत संयंत्रों में फलाई ऐश के रखरखाव से, यदि इसका उचित रखरखाव नहीं किया जाए, भगोड़ा धूल पैदा होती है। विद्युत संयंत्रों को इससे बचने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2773 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ऐश उपलब्धता एवं उपयोग वेब पोर्टल के आंकड़ों (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त की गई राशि और वहन किए गए व्यय का मासिक ब्यौरा

क्रम सं.	माह	डाटा अपलोड करने वाले टीपीपी की सं.	टीपीपी द्वारा प्राप्त राशि (रु.)	टीपीपी द्वारा वहन किया गया व्यय (रु.)
1.	अप्रैल-18	127	44,56,55,714	17,32,23,291
2.	मई-18	127	46,48,85,571	23,43,93,781
3.	जून-18	128	44,90,13,734	17,55,38,079
4.	जुलाई-18	129	33,39,67,085	39,66,92,329
5.	अगस्त-18	128	34,14,18,521	15,12,69,477
6.	सितम्बर 18	129	39,67,24,905	16,01,85,807
7.	अक्टूबर-18	125	47,45,39,336	18,67,59,242
8.	नवंबर-18	124	34,12,49,481	18,18,35,537
9.	दिसम्बर 18	122	43,95,90,397	23,49,03,422
10.	जनवरी -19	122	43,24,02,530	25,25,89,219
11.	फरवरी-19	120	37,64,40,936	15,67,82,596
12.	मार्च -19	121	41,15,72,773	20,47,13,742
<b>कुल</b>			<b>4,90,74,60,983</b>	<b>2,50,88,86,522</b>

संदर्भ-<https://mapp.ntpc.co.in/asha>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2821

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

2821. श्री के. सुब्बारायणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बाधारहित विद्युत आपूर्ति और सुदृढ़ अवसंरचना सुनिश्चित करने के लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं और इन योजनाओं के लिए आबंटित आधी से अधिक निधि अप्रयुक्त रह जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय पर लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.04.2018 को सभी बसावट वाले जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 31.03.2019 तक छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कुछ घरों को छोड़कर सभी राज्यों ने सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

(ग) और (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और इस प्रकार घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। अप्रैल, 2019 से सभी घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने भारत सरकार के साथ सहमति जापन (एमओयू) किए हैं। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

विद्युत अवसंरचना सृजित करने और घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत काफी प्रगति हुई है। इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां पिछली किशतों में राशि के सूचित उपयोग तथा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के आधार पर किशतों में जारी की जाती है। डीडीयूजीजेवाई की विभिन्न परियोजनाओं के तहत अब तक 45,174.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और राज्यों ने 69% की समग्र प्रगति सूचित की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2826

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण

2826. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्ष का इसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के क्षेत्र में और लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में भविष्य की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 28.04.2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

इसके अलावा, देश में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की। सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर 31.03.2019 तक छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के कुछ घरों को छोड़कर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। देश में स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2833

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

प्रति-राजसहायता प्रणाली

2833. श्री रवनीत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लुधियाना सहित देश में बड़े विद्युत उपभोक्ताओं पर लगाई गई प्रति-राज सहायता का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का लुधियाना सहित देश में प्रति-राज सहायता प्रणाली को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। बड़े उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति, 2016 में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग इस प्रकार का एक रोडमैप अधिसूचित करेगा ताकि टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के  $\pm 20\%$  के भीतर लाया जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ निर्धारित करते समय टैरिफ नीति के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2851

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

2851. प्रो. सौगत राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर है;
- (ख) विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है और प्रति इकाई, स्रोत-वार उत्पादन लागत कितनी है;
- (ग) क्या सरकार का विचार देश में नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 3,64,960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) रही है, जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, देश में ऊर्जा और व्यस्ततम की दृष्टि से वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा और व्यस्ततम दोनों की दृष्टि से चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर 1% से कम है। यह अंतर सामान्यतया देश में विद्युत की उपलब्धता के अलावा अन्य घटकों जैसे उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में बाधाएं, विद्युत खरीद के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण है। दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों के अलावा, विद्युत किसी भी समय पावर एक्सचेंजों से खरीदी जा सकती है।

(ख) : गत वर्ष और चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, देश में 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले स्टेशनों के विभिन्न स्रोतों (ताप, जल एवं नाभिकीय) से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के दौरान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा यथाअनुमोदित रुपये/केडब्ल्यूएच में विद्युत की बिक्री की दर की स्रोत-वार रेंज **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक अनुमानित योजना लागत वाले जल-विद्युत स्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति को छोड़कर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र की जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक)*	785,488	781,228	4,259	0.5	183,804	182,533	1,271	0.7

\*अनंतिम

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गत वर्ष और चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, देश में 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता वाले स्टेशनों के विभिन्न स्रोतों (ताप, जल एवं नाभिकीय) से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

श्रेणी	उत्पादन (एमयू)	
	2018-19	2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक)*
ताप विद्युत	1072223.88	613559.86
नाभिकीय	37812.59	28195.10
जल विद्युत	134893.61	111110.12
भूटान से आयात	4406.62	5081.14
<b>कुल</b>	<b>1249336.70</b>	<b>757946.22</b>

*\*अंतिम*

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2017-18 के दौरान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा यथाअनुमोदित रुपये/केडब्ल्यूएच में विद्युत की बिक्री की दर की स्रोत-वार रेंज

श्रेणी	सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार विद्युत की बिक्री की दर (₹./केडब्ल्यूएच)
थर्मल-कोयला	1.39 से 6.34
थर्मल-लिग्नाइट	2.70 से 4.49
थर्मल-डीजल	5.43 से 5.63
थर्मल-गैस/आरएलएनजी	2.38 से 6.56
न्यूक्लियर	2.06 से 4.09
हाइड्रो	0.36 से 6.89

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
1.	तीस्ता-VI	एनएचपीसी	500
2.	दिबांग	एनएचपीसी	2880
3.	किरू	सीवीपीपीएल	624
		<b>कुल</b>	<b>4004</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2859

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत का आवंटन

**2859. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए बिजली आवंटन का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान अधिक बिजली का आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव गोवा राज्य सहित विभिन्न राज्यों से लंबित है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;
- (घ) क्या सरकार मौजूदा और आगामी वर्ष में बिजली की प्रत्याशित कमी के बारे में कोई अनुमान लगा रही है/लगाने का विचार कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को विद्युत के आवंटन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गोवा राज्य सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अधिक विद्युत आवंटन का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार वर्ष 2019-20 के भार उत्पादन तुलन रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार, देश में विद्युत की कमी की प्रत्याशा नहीं है। इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष की भार उत्पादन तुलन रिपोर्ट चालू वर्ष 2019-20 की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति की समीक्षा के आधार पर संकलित की जाएगी।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2859 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विद्युत के आबंटन का ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से आबंटित कुल विद्युत (मेगावाट)
1	चंडीगढ़	330.6
2	दिल्ली	4014.7
3	हरियाणा	2874.9
4	हिमाचल प्रदेश	1481.5
5	जम्मू और कश्मीर	2255.1
6	पंजाब	2903.1
7	राजस्थान	3360.1
8	उत्तर प्रदेश	7572.0
9	उत्तराखंड	1123.3
10	पावर ग्रिड	11.6
11	रेलवे उत्तरी क्षेत्र	245.0
12	बीटीपीएस	2.0
	<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>26173.9</b>
13	छत्तीसगढ़	1603.7
14	गुजरात	4147.1
15	मध्य प्रदेश	5882.5
16	महाराष्ट्र	7852.9
17	दमन और दीव	333.7
18	दादर व नागर हवेली	950.9
19	गोवा	610.9
20	पावर ग्रिड	8.7
21	डीएई का एचडब्ल्यूपी	14.0
22	बीएआरसी सुविधाएं	10.0
23	रेलवे पश्चिमी क्षेत्र	170.0
	<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>21584.4</b>
24	आंध्र प्रदेश	3743.8
25	तेलंगाना	2525.5
26	कर्नाटक	4859.3
27	केरल	2235.8
28	तमिलनाडु	6436.4
29	पुडुचेरी	523.1
30	एनएलसी	100.0
31	पावर ग्रिड	6.3
	<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>20430.0</b>
32	बिहार	4457.4
33	झीवीसी	3769.2
34	झारखंड	1593.6
35	ओडिशा	1769.3
36	पश्चिम बंगाल	2352.2
37	सिक्किम	172.2
38	पावर ग्रिड	3.8
39	रेलवे	210.0
	<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>14327.6</b>
40	अरुणाचल प्रदेश	219.5
41	असम	1609.5
42	मणिपुर	248.8
43	मेघालय	336.2
44	मिजोरम	205.0
45	नागालैंड	151.3
46	त्रिपुरा	482.3
47	पावर ग्रिड	2.5
	<b>उत्तर-पूर्वी</b>	<b>3255.1</b>
	<b>अखिल भारतीय</b>	<b>85,771</b>

1. 30.06.2019 को उपरोक्त आबंटन वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत केंद्रीय उत्पादन यूनिटों और शाम के व्यस्ततम घंटों के लिए ही है। गैर-आबंटित विद्युत के घटक गैर-व्यस्ततम घंटों के दौरान भिन्न हो सकते हैं।

2. केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से अखिल भारतीय हिस्सेदारी में बांग्लादेश को आबंटित विद्युत शामिल नहीं है। बांग्लादेश को आबंटित कुल विद्युत = 250 मेगावाट (उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र प्रत्येक से 100 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी स्टेशनों की गैर-आबंटित विद्युत से 50 मेगावाट)

\*\*\*\*\*

टिप्पणी:

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2866

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

प्रत्येक गरीब परिवार को विद्युत कनेक्शन

**2866. श्री थोमस चाज़िकाइन:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई योजना तैयार की है और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) अब तक प्रदान किए गए ऐसे कनेक्शन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से बिजली क्षेत्र में राजसहायता देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) बिजली के क्षेत्र में राजसहायता को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। भारत सरकार ने देश में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को एवं शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 11.10.2017 को स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : उपभोक्ताओं की विशिष्ट श्रेणी को सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव करती है, वह इसके लिए संबंधित वितरण कंपनी को अग्रिम में राशि उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि यदि वे सब्सिडी देने का प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देना चाहिए। टैरिफ नीति भी यह अधिदेश देती है कि गरीब उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए क्रॉस सब्सिडी की तुलना में प्रत्यक्ष सब्सिडी बेहतर तरीका होती है (खण्ड 8.3, टैरिफ नीति, 2016)।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

11.10.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,87,501
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	मध्य प्रदेश	19,84,264
13	महाराष्ट्र	15,17,922
14	मणिपुर	1,02,748
15	मेघालय	1,99,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	1,32,507
18	ओडिशा	24,52,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	18,62,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	5,15,084
25	त्रिपुरा	1,39,090
26	उत्तर प्रदेश	79,80,568
27	उत्तराखंड	2,48,751
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
<b>कुल</b>		<b>2,62,84,350</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2868

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना

2868. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना की मुख्य विशेषताएं और देश में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थी परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस योजना में बिजली का महंगा होने और ग्रामीण परिवारों की बिजली के बिलों का भुगतान करने में असमर्थता की समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रावधान शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना में बिजली के अवैध कनेक्शनों के बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिए कोई प्रावधान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत घरों को शामिल करने के पश्चात कितनी अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और भविष्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की। योजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों के लिए अंतिम छोर की कनेक्टिविटी।

(ii) दूर-दराज और गैर पहुंच वाले गांवों/वासस्थलों जहां ग्रिड विस्तार न तो व्यवहार्य है और न ही लागत प्रभावी है, में स्थित गैर विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर आधारित स्टैंडअलोन प्रणालियां।

छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र के कुछ घरों को छोड़कर सभी राज्यों ने 31.03.2019 तक सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। योजना की शुरुआत के बाद 31.03.2019 तक राज्यों ने 2.63 करोड़ घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। घरों को उपलब्ध कराये गये कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : इस योजना के तहत सभी गैर विद्युतीकृत घरों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है जबकि गैर-गरीब ग्रामीण घरों के लिए बाद के बिजली बिलों में दस समान किशतों में लाभार्थी से डिस्कॉम/विद्युत विभागों द्वारा 500 रुपये की वसूली की जायेगी। बिजली खपत बिल उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। उपयुक्त विनियामक के अनुमोदन से टैरिफ का निर्धारण संबंधित राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है।

(घ) : विद्युत का वितरण राज्य/डिस्कॉम के कार्य क्षेत्र में आता है और अवैध कनेक्शनों के विरुद्ध कार्रवाई करना उनका उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 में चोरी का पता लगाने और उपभोक्ताओं को कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सके या जुर्माने से या दोनों से दंडित करने का विशिष्ट प्रावधान है। बिगाड़े गये मीटरों के माध्यम से विद्युत का उपयोग और अप्राधिकृत प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग आदि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(घ) तथा (ङ) के तहत चोरी की परिभाषा में शामिल है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 में विद्युत की चोरी से संबंधित अपराधों और विद्युत की चोरी से संबंधित अन्य अपराधों और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 से 140 और धारा 150 में यथा संदर्भित अन्य अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है।

(ङ) : मांग की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त संस्थापित क्षमता मौजूद है। देश की कुल संस्थापित क्षमता 31.03.2019 तक 177.022 गीगावाट की औसतन व्यस्ततम मांग के साथ 356.100 गीगावाट है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2868 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

11.10.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,87,501
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	मध्य प्रदेश	19,84,264
13	महाराष्ट्र	15,17,922
14	मणिपुर	1,02,748
15	मेघालय	1,99,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	1,32,507
18	ओडिशा	24,52,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	18,62,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	5,15,084
25	त्रिपुरा	1,39,090
26	उत्तर प्रदेश	79,80,568
27	उत्तराखंड	2,48,751
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	<b>कुल</b>	<b>2,62,84,350</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2869

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

2869. श्री बी.बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान जिन गांवों को बिजली प्रदान की गई है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश भर के सभी गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सौर ऊर्जा के माध्यम से ऐसे गांवों और बस्तियों को बिजली प्रदान करने का विचार है जिनके पास उक्त लक्ष्य के अंतर्गत कवर नहीं होने के कारण बिजली की सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 28.04.2018 तक सभी आवासित जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। विगत दो वर्षों के दौरान, 5251 आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2869 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गत दो वर्षों अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 को दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण।

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	854	280	1,134
2	असम	572		572
3	बिहार	332	264	596
4	छत्तीसगढ़	348	31	379
5	जम्मू और कश्मीर	35	62	97
6	झारखंड	613	116	729
7	कर्नाटक	25		25
8	मध्य प्रदेश	44	5	49
9	महाराष्ट्र		80	80
10	मणिपुर	77	93	170
11	मेघालय	218	151	369
12	मिजोरम	14		14
13	नागालैंड	2		2
14	ओडिशा	544	381	925
15	राजस्थान	1		1
16	उत्तर प्रदेश	9	22	31
17	उत्तराखंड	43	30	73
18	पश्चिम बंगाल	5		5
	<b>कुल</b>	<b>3,736</b>	<b>1,515</b>	<b>5,251</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2880

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

2880. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अधिष्ठापन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के प्रस्तावित कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों में से 40 प्रतिशत से अधिक द्वारा देश के पानी की खपत को दोगुना करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'ग्रीनपीस इंटरनेशनल' ने कहा है कि प्रस्तावित कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों के निर्माण के कारण देश के अधिकांश राज्यों में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत संयंत्र स्थापित करना एक लाइसेंस-मुक्त कार्यकलाप है। इस प्रकार नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि संयंत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) मंजूर करते समय नदियों/जलाशयों से जल के आवंटन के लिए उत्तरदायी संबंधित राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों के जरिये विकासकर्ता

द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) द्वारा विनिर्दिष्ट जल खपत मानदण्डों को पूरा करना होता है।

(ड) : उक्त ग्रीन पीस इन्टरनेशनल रिपोर्ट को विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नहीं देखा गया है।

(च) : ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत में कमी करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:-

- i. ताप विद्युत संयंत्रों में जल के प्रयोग के बारे में दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के तहत एमओईएफएण्डसीसी द्वारा प्रकाशित नए जल खपत मानदण्डों का अनुपालन।
- ii. टैरिफ नीति, 2016 ताप विद्युत संयंत्रों जो 50 किलोमीटर के परिधि में स्थित हैं, द्वारा नगर पालिका/स्थानीय निकायों के मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से शोधित मलजल का प्रयोग अनिवार्य करती है। सभी ताप विद्युत संयंत्रों को, जहां संभव हो, कूलिंग प्रयोजन के लिए एसटीपी जल का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
- iii. ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित जल संरक्षण उपाय भी किए जा रहे हैं:-

- क. **एश वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम**- राख तालाब से जल प्राप्त किया जाता है और सिस्टम में पुनः प्रयोग किया जाता है।
- ख. **ड्राई फलाई एश हैंडलिंग सिस्टम तथा हाई कन्सन्ट्रेशन स्लेरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी)**- ये एश हैंडलिंग तकनीकें एश हैंडलिंग जल आवश्यकता को कम करती हैं जिससे जल की खपत घटती है।
- ग. **जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम**- संयंत्र में उत्पादित सारे अपशिष्ट जल को शोधित करने तथा खपत वाली जल प्रणाली में पुनः चक्रण करने से जल की खपत कम होती है।
- घ. **ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स एट हायर साइकिल ऑफ कंसन्ट्रेशन (सीओसी)**: यह संयंत्र द्वारा उत्पादित अपशिष्ट जल में कमी करता है। यह उत्पादित अपशिष्ट जल कम ग्रेड के प्रयोगों जैसे एश हैंडलिंग, कोयला धूल पर छिड़काव करने तथा बागवानी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है।
- ङ. जल की कमी वाले क्षेत्र में कूलिंग प्रयोजन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में एयर कूल्ड कंडेंसरों की सिफारिश की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2881

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना

2881. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सभी घरों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई 'सौभाग्य' योजना को तय समय और लक्ष्यों के अनुसार लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत घरों तक बिजली पहुंचाने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और अपने लक्ष्यों को हासिल किया है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हां। भारत सरकार ने देश में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की। सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर 31.03.2019 तक छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कुछ घरों को छोड़कर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 11.10.2017 को स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2881 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

11.10.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,87,501
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	मध्य प्रदेश	19,84,264
13	महाराष्ट्र	15,17,922
14	मणिपुर	1,02,748
15	मेघालय	1,99,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	1,32,507
18	ओडिशा	24,52,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	18,62,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	5,15,084
25	त्रिपुरा	1,39,090
26	उत्तर प्रदेश	79,80,568
27	उत्तराखंड	2,48,751
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	<b>कुल</b>	<b>2,62,84,350</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2898

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

गांवों में विद्युत

2898. श्रीमती वीणा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन गांवों में बिजली प्रदान की गई है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 28.04.2018 तक सभी आवासित जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2905  
जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन

2905. श्री हेमन्त पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जल विद्युत उत्पादन की उत्पादित की जा सकने वाली संभावनी क्षमता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार अपार संभावना के बावजूद देश में जल विद्युत से क्षमतापूर्ण ऊर्जा उत्पादन करने में असफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने जल विद्युत उत्पादन क्षमता और इसके संभावनी स्थानों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा जल विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में कुल मूल्यांकित जल विद्युत क्षमता 1,66,454 मेगावाट है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

श्रेणी	क्षमता (मेगावाट)	आधार
वृहद जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं)	1,45,320	1978-1987 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन अध्ययन
लघु जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजनाएं)	21,134	आल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर (एएचईसी), आईआईटी, रुड़की द्वारा तैयार किया गया लघु जल विद्युत आंकड़ा आधार (जुलाई, 2016)

राज्य-वार जल विद्युत क्षमता दर्शाने वाली तालिका **अनुबंध** में दी गई है।

अब तक 40,613 मेगावाट (क्षमता का 27.95 प्रतिशत) की संचयी क्षमता की वृहद जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। लघु जल विद्युत क्षेत्र में 4647 मेगावाट (कुल क्षमता का 21.98 प्रतिशत) की संचयी क्षमता स्थापित की गई है। लघु जल विद्युत की धीमी गति का मुख्य कारण वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब और भौगोलिक एवं जलविज्ञान संबंधी अनिश्चितताएं आदि हैं। वृहद जल विद्युत क्षेत्र में दुर्गम भौगोलिक स्थिति, अंतर-राज्यीय विवाद, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के मामले, उच्च पूंजीगत लागत जिसके परिणामस्वरूप उच्च टैरिफ होता है, निर्माण-पूर्व लंबी अवधि, पर्यावरण स्वीकृति मिलने में विलंब ऐसे प्रमुख कारक हैं, जिनके परिणामस्वरूप धीमा विकास होता है।

**(घ) और (ङ) :** देश में वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के दोहन की क्षमता को गति देने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया गया है।
- (ii) जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के अंतर्गत अलग इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (iii) जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ यौक्तिकीकरण उपायों जिनमें परियोजनाओं का जीवनकाल 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैकलोडिंग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए विकासकर्ताओं को छूट प्रदान करना, ऋण अदायगी की अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाना और टैरिफ में तीव्र वृद्धि की शुरुआत शामिल है।
- (iv) बाढ़ नियन्त्रण/स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।
- (v) सक्षमीकरण ढांचे अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2905 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्षेत्र/राज्य	अभियन्तित क्षमता	
	लघु जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट तक क्षमता की परियोजनाएं)	वृहद जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं) (पम्पड जल विद्युत को छोड़कर)
<b>उत्तरी</b>		
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	1707.45	13543
हिमाचल प्रदेश	3460.34	18540
पंजाब	578.28	971
हरियाणा	107.24	64
राजस्थान	51.64	483
उत्तराखंड	1664.31	17998
उत्तर प्रदेश	460.75	664
<b>उप-जोड़</b>	<b>8030.01</b>	<b>52263</b>
<b>पश्चिमी</b>		
मध्य प्रदेश	820.44	1970
छत्तीसगढ़	1098.20	2202
गुजरात	201.97	590
महाराष्ट्र	786.46	3314
गोवा	4.70	55
<b>उप-जोड़</b>	<b>2911.77</b>	<b>8131</b>
<b>दक्षिण</b>		
आंध्र प्रदेश	409.32	2341
तेलंगाना	102.25	2019
कर्नाटक	3726.59	6459
केरल	647.15	3378
तमिलनाडु	604.46	1693
अंडमान व निकोबार द्वीप	7.27	0
<b>उप-जोड़</b>	<b>5497.04</b>	<b>15890</b>
<b>पूर्व</b>		
झारखंड	227.96	582
बिहार	526.98	40
ओडिशा	286.22	2981
पश्चिम बंगाल	392.06	2829
सिक्किम	266.64	4248
<b>उप-जोड़</b>	<b>1699.86</b>	<b>10680</b>
<b>उत्तर-पूर्वी</b>		
मेघालय	230.05	2298
त्रिपुरा	46.86	0
मणिपुर	99.95	1761
असम	201.99	650
नागालैंड	182.18	1452
अरुणाचल प्रदेश	2064.92	50064
मिजोरम	168.99	2131
<b>उप-जोड़</b>	<b>2994.94</b>	<b>58356</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>21133.62</b>	<b>145320</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2909

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

2909. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) कुल मांग की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है; और

(ङ) हरित ऊर्जा के उत्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री  
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 3,64,960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) रही है, जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, देश में ऊर्जा और व्यस्ततम की दृष्टि से वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा और व्यस्ततम दोनों की दृष्टि से चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर 1% से कम है। यह अंतर सामान्यतया देश में विद्युत की उपलब्धता के अलावा अन्य घटकों जैसे उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में बाधाएं, विद्युत खरीद के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण है। दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों के अलावा, विद्युत किसी भी समय पावर एक्सचेंजों से खरीदी जा सकती है।

(ग) : केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक अनुमानित योजना लागत वाले जल-विद्युत स्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति को छोड़कर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। सीईए के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कुल 59,615.65 मेगावाट परंपरागत विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है जिसमें 42281.15 मेगावाट ताप (कोयला), 406.15 मेगावाट ताप (गैस), 12,034.5 मेगावाट जल एवं 5,300 मेगावाट नाभिकीय विद्युत शामिल है। भारत सरकार ने 2021-22 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें सौर से 1,00,000 मेगावाट, पवन से 60,000 मेगावाट, बायोमास से 10,000 मेगावाट और लघु जल विद्युत से 5000 मेगावाट शामिल है। इस लक्ष्य की तुलना में 31.10.2019 को 83,379 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता पहले ही शुरू हो चुकी है।

(घ) : वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, देश में परंपरागत एवं नवीकरणीय स्रोतों से कुल उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की भागीदारी क्रमशः 9.21 प्रतिशत और 10.13 प्रतिशत है।

(ङ) : देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य घोषित करना;
- (ii) ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- (iii) दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सोलर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों और हानियों की छूट;
- (iv) लागत प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत का प्रापण करने के लिए वितरण लाइसेंसी को सक्षम बनाने हेतु मानक बोली दिशानिर्देश की अधिसूचना;
- (v) वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री घोषित करना;
- (vi) बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभिवृद्धि के ग्रिड एकीकरण की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
- (vii) नई योजानाएं जैसे पीएम-कुसुम, सौर रूफटॉप फेज-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम फेज-II की शुरुआत।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक)*	785,488	781,228	4,259	0.5	183,804	182,533	1,271	0.7

\*अंतिम

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2927

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग में गिरावट

2927. श्री जी.एस. बसवराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अक्टूबर में गत वर्ष की तुलना में विद्युत उत्पादन में 12.7 प्रतिशत की गिरावट आई है और जब गत वर्ष में संबंधित माहों की तुलना में लगातार तीसरे माह भी विद्युत उत्पादन में कमी दर्ज की गई;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार इस वर्ष लम्बे मानसून को मांग में गिरावट का कारण मानती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या अक्टूबर में कम उत्पादन का एक कारण कोयला संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त मांग और आपूर्ति के मुद्दे के कारण कोयला संयंत्रों में सबसे कम पीएलएफ 51.1 प्रतिशत होना भी हो सकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : माह अर्थात् अगस्त से अक्टूबर, 2019 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। विद्युत उत्पादन अगस्त, 2018 की तुलना में अगस्त, 2019 में 0.4% अधिक था। सितम्बर, 2019 और अक्टूबर, 2019 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में विद्युत उत्पादन क्रमशः लगभग 2.9% एवं 12.88% कम था। कम उत्पादन मुख्य रूप से लम्बे मानसून मौसम और अच्छी बरसात के कारण था जिनके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मांग की कमी और घरेलू एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में कूलिंग मांग में कमी हुई।

चालू वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान, जल विद्युत में 16% वृद्धि हुई और भूतान से आयात की गई जल विद्युत में लगभग 22% वृद्धि हुई। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में 27% और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में 24% की वृद्धि भी हुई है। हरित ऊर्जा अर्थात् गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन की भागीदारी लगभग 27.3% रही है। इस प्रकार समग्र विद्युत उत्पादन में कमी ताप विद्युत उत्पादन के कम संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के कारण नहीं हुई थी, अपितु हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा मिश्र में बदलाव करने में समर्थ हुए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2927 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अगस्त से अक्टूबर, 2019 के दौरान उत्पादन का निष्पादन

अवधि	2019-20 के दौरान उत्पादन (एमयू)	2018-19 के दौरान उत्पादन (एमयू)	वृद्धि (%)
अगस्त	106,200	105,793	0.39
सितम्बर	105,195	108,328	-2.89
अक्टूबर	98,887	113,507	-12.88
अप्रैल-अक्टूबर	757,946	749,314	1.15

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2943

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

पड़ोसी देशों के साथ विद्युत पर समझौता जापन

2943. श्री छतर सिंह दरबार:

डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पड़ोसी या अन्य देशों की संख्या कितनी है जिनके साथ विद्युत से संबंधित मामलों पर समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) उसके विचारार्थ विषय क्या हैं और उससे क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ग) अन्य देशों को प्रदान की जाने वाली संभावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पास पड़ोसी और अन्य देशों अर्थात् बंगलादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, कोरिया गणराज्य, यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड, यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तथा स्विटजरलैंड के साथ आठ समझौता जापन/करार हैं।

(ख) और (ग) : ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2943 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(ख) : विभिन्न समझौता-जापनों के विचारार्थ विषय (टीओआर) और उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) बंगलादेश के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा की विभिन्न किस्मों के विकास; देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने आदि में सहयोग शामिल है।

विद्युत के आदान-प्रदान, विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिविटी, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा।

(ii) भूटान के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ जल विद्युत परियोजनाओं और संबद्ध पारेषण प्रणालियों के विकास और निर्माण तथा दो देशों के बीच विद्युत के व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है।

किंगडम ऑफ भूटान में जल विद्युत के विकास से दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए स्थायी योगदान मिलेगा।

(iii) नेपाल के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ पारेषण इंटरकनेक्शन, ग्रिड कनेक्टिविटी विकसित करना, विद्युत का आदान-प्रदान और व्यापार, शेड्यूलिंग तैयार करना, पारेषण, ऊर्जा लेखांकन, सीमापार विद्युत व्यापार के लिए निपटान और प्रक्रियाएं तथा अन शेड्यूलड इंटरचेंज शामिल है।

बढ़े हुए पारेषण इंटर कनेक्शनों के जरिये सीमापार विद्युत आदान-प्रदान और व्यापार में सहयोग से साझा विद्युत बाजार की ओर बढ़ने से दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा जो उप क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

(iv) म्यांमार के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा दक्षता तथा जल विद्युत सहित ऊर्जा की विभिन्न किस्मों के विकास आदि में सहयोग शामिल है।

विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिविटी, विद्युत के आदान-प्रदान, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास सहित ऊर्जा क्षेत्र विकास के फील्ड में सहयोग से दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा।

- (v) कोरिया गणराज्य के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत विकास, स्मार्ट ग्रिड और विद्युत सूचना तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रिक विद्युत के पारेषण और वितरण, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा स्टोरेज प्रणालियों में सहयोग शामिल है।

इलैक्ट्रिक विद्युत विकास तथा नये ऊर्जा उद्योगों के क्षेत्रों में संयुक्त पहलों और परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की काफी संभावना विद्यमान है जो दो देशों के निरंतर आर्थिक विकास को सुविधा प्रदान कर सकती है।

- (vi) यूनाईटेड किंगडम के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार सुधार, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा स्टोरेज तथा नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं।

दो देशों के बीच सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र के विकास में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग बढ़ेगा।

- (vii) यूएसए के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, वित्तपोषण के लिए पहुंच, नीतिगत विचार-विमर्श, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि शामिल हैं।

दोनों देशों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा पहुंच बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए सहयोगी लाभ वाली स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए रेजिलेंस बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

- (viii) स्विटजरलैंड के साथ समझौता जापन के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ स्विटजरलैंड के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करके भारत में ऊर्जा दक्षता निर्माण के क्षेत्र में बिल्डरों, वास्तुविदों, इंजीनियरों, प्रयोगशालाओं, संस्थानों तथा अन्यो की क्षमताओं और जानकारी का निर्माण करना शामिल है।

दोनों देशों का उद्देश्य नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबीटेट के उद्देश्यों के अनुरूप भारत में नये भवनों में ऊर्जा खपत में कमी करना है।

(ग) : अन्य देशों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जायेगी:

- (i) जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने में तकनीकी सहायता;
- (ii) पारेषण और वितरण क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं; तथा
- (iii) क्षमता निर्माण।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2954

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण आवासों में विद्युत कनेक्शन

2954. डॉ. अमर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के गांवों में औसतन कितने घंटे तक विद्युत आपूर्ति की जाती है; और

(ख) ग्रामीण पंजाब के सभी गांवों में कितने प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : पंजाब राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 30.09.2019 को ग्रामीण क्षेत्रों में औसत आपूर्ति 24 घण्टे है।

(ख) : पंजाब राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.03.2019 को राज्य में सभी घर विद्युतीकृत हो गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2959

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

2959. श्री अनुभव मोहंती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के मानदंडों में संशोधन किया है और उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राज्य सरकार को दी गई कार्यान्वयन अवधि बहुत कम है; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार श्रेणी-1 संयंत्रों के लिए वर्ष 2027 तक उनके शेष प्रचालनकाल तक और श्रेणी-2 और 3 संयंत्रों को दिसम्बर 2017 की नियत तिथि से 10 वर्ष तक अर्थात् वित्तीय वर्ष 2027 तक पर्यावरण उन्नयन से छूट की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने स्थापना की तारीख के संबंध में ताप विद्युत संयंत्रों का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकरण करते हुए 07.12.2015 और 28.06.2018 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए नए पर्यावरण मानक अधिसूचित किए हैं:

- i. 31 दिसम्बर, 2003 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाइयां)।
- ii. 31 दिसम्बर, 2003 के बाद और 31 दिसम्बर, 2016 तक स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाइयां)।
- iii. 01 जनवरी, 2017 से स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र (इकाइयां)।

(ग) : देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 1,61,402 मेगावाट (414 इकाइयों) क्षमता के संयंत्रों में SO<sub>x</sub> के नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना करने के लिए और 64,525 मेगावाट (222 इकाइयों) की क्षमता के संयंत्रों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर के उन्नयन के लिए पणधारकों के साथ परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 तक कार्यान्वित किए जाने के लिए) तैयार की गई थी और यह योजना 13.10.2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सीईए द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(घ) : सीपीसीबी ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2979

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत संयंत्र

2979. श्री विजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार बिहार में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या उपरोक्त संयंत्रों के निर्माण में विलंब हुआ है, जिस कारण इसकी अनुमानित लागत में काफी वृद्धि हुई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत कितनी है और इन्हें कब तक पूरा किया जाना तय था;
- (घ) आज की तिथि अनुसार अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त संयंत्रों को पूरा करने की संशोधित समय-सीमा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त कारणों के समाधान खोजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भावी योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई उत्पादक कंपनी यदि ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षण कर सकती है। इसलिए कोई निगमित निकाय अथवा व्यक्ति सरकार से अनुमति लिए बिना ताप विद्युत उत्पादन में निवेश कर सकता है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाएं

स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत की जानी होती हैं।

वर्तमान स्थिति, विलंब के कारण, मूल अनुमानित लागत, आज की तारीख के अनुसार अनुमानित लागत, मूल पूर्णता अनुसूची तथा संशोधित पूर्णता अनुसूची सहित बिहार राज्य में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ड.) : इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं ने परियोजना विशिष्ट मुद्दों, जिनसे विलंब हुआ था, का समाधान करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ मामला उठाया है और संविदागत मुद्दों का समाधान करने के लिए संविदाओं में उपयुक्त संशोधन भी किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाओं के समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- ✓ सीईए लगातार स्थल दौरे करके और विकासकर्ताओं, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ परियोजना को चालू करने के लिए जटिल मुद्दों को चिन्हित करने और उनका समाधान करने में सहायता करने के जरिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।
- ✓ विद्युत मंत्रालय भी सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ चालू विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है।
- ✓ जब भी आवश्यक होता है मुद्दे अग्र सक्रिय अभिशासन तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति में भी उठाए जाते हैं।
- ✓ परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) भी लंबित परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करता है। परियोजनाओं के विकासकर्ता संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ परियोजना विशिष्ट मुद्दों को उनके समाधान के लिए पीएमजी पोर्टल पर भी उठा सकता है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2979 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**बिहार राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुसूची		लागत (करोड़ रु. में)		वर्तमान स्थिति	विलंब के कारण
				मूल	अनुमानित	मूल	नवीनतम		
1	बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	यू-1	660	जुला.-23	जुला.-23	10439.1	-	परियोजना निर्माणाधीन है	कोई विलंब नहीं
		यू-2	660	जन.-24	जन.-24				
2	बाढ़ एसटीपीपी-1	यू-1	660	अग.-09	अप्रैल-20	8693	21312.1	परियोजना निर्माणाधीन है	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य संयंत्र (एसजी एवं सहायक पैकेज) वेंडर मैसर्स टीपीई द्वारा अत्यधिक देरी। मैसर्स टीपीई ने अक्टूबर, 2013 से कार्य बन्द कर दिया और 14.01.2015 को संविदा समाप्त कर दी गई। शेष कार्य के लिए संविदा जनवरी, 2016 में पुनः अवार्ड की गई।</li> <li>यूनिट-1 के बायलर के हाइड्रो टेस्ट के दौरान मैसर्स टीपीई द्वारा आपूर्ति की गई क्वाइलों के असफल होने के कारण विलंब। तदनुसार, सामग्री के बदलाव को अनुमोदित किया गया और क्वाइलों की आपूर्ति विखण्डन करने और संस्थापन करने के लिए 15.01.2018 को संविदा मैसर्स जीई को अवार्ड की गई।</li> <li>रूस से विद्युत मशीनों (पीएम) संबंधी यूएस स्वीकृतियों के कारण विलंब जिसने शेष टीजी आपूर्तियां और कार्य प्रभावित किए।</li> <li>पूर्व में भूमि अधिग्रहण/वास्तविक कब्जे के कारण विलंब।</li> <li>वर्ष 2010 में एग्रीगेट की कमी क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार माइजर मिनरल कन्सेशन (संशोधन) नियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए स्टोन क्वेरी माइन्स पर रोक लगा दी थी।</li> <li>रेलवे लाइन हजारीबाग-कोडरमा-तिलैया-राजगीर-बख्तियारपुर मार्ग (250 किमी) तैयार होने में देरी बाढ़ परियोजना के लिए कोयले के परिवहन को प्रभावित करेगी।</li> </ul>
		यू-2	660	जून-10	अप्रैल-21				
		यू-3	660	अप्रैल-11	मई-22				
3	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	नव.-13	अप्रैल-20	5352.51	9582.89	परियोजना निर्माणाधीन है	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि अधिग्रहण में विलंब।</li> <li>पूर्व में बार-बार कानून व्यवस्था समस्याएं/गड़बड़ियां/बंद।</li> <li>कोल हैण्डलिंग प्लांट (सीएचपी) (मैसर्स टेक्प्रो.) की तैयारी में विलंब। एजेंसी एनसीएलटी के अधीन।</li> <li>ऐश हैण्डलिंग प्लांट (एएचपी) (मैसर्स इन्ड्योर) की तैयारी में विलंब।</li> <li>यूनिट#4 के लिए बीएचईएल द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब।</li> </ul>

									<ul style="list-style-type: none"> <li>• सिविल एजेंसी (मैसर्स एरा) के खराब मोबिलाइजेशन के कारण विलंब। एजेंसी एनसीएलटी के अधीन।</li> </ul>
4	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-2	660	जुला.-17	अप्रैल-20	13624.02	17304.3	परियोजना निर्माणाधीन है	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रेलवे साइडिंग और मेक-अप-वाटर (एमयूडब्ल्यू) पाइप कोरिडोर के कार्य प्रभावित हुए।</li> <li>• मुख्य संयंत्र और ऐश डाइक से हाउस स्टेट विस्थापित (एचएसओ) केवल मार्च, 16/जून, 17 में ही शिफ्ट किए गए।</li> <li>• पूर्व में बारंबार कानून व्यवस्था समस्याएं।</li> <li>• एएचपी (मैसर्स डीसीआईपीएस) की तैयारी में विलंब। एजेंसी एनसीएलटी/ऋणशोधन के अधीन।</li> <li>• सीएचपी (मैसर्स टीआरएफ) की तैयारी में विलंब।</li> <li>• सिविल एजेंसी (मैसर्स एरा) के खराब मोबिलाइजेशन के कारण विलंब। एजेंसी एनसीएलटी के अधीन।</li> <li>• स्थल लेवलीकरण (मैसर्स एएमआर) में शुरुआती विलंब।</li> </ul>
		यू-3	660	जन.-18	मार्च-22				

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2988

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

ऊर्जा सुरक्षा

2988. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विश्व ऊर्जा परिषद् द्वारा एनेर्जी ट्राईलेम्मा इंडेक्स में भारत का 109वां स्थान है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऊर्जा भंडारण क्षमता और आयात निर्भरता के संदर्भ में देश में ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा सार्वभौमिक, सस्ती और ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हां। देशों की डब्ल्यूईसी ट्रिलीमा इन्डेक्स रैंकिंग तीन आयामों: पर्यावरण धारणीयता, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा इक्विटी (पहुंच और वहनीयता) के जरिये निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराने के आधार पर है।

(ख) : देश में विद्युत ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार अखित भारतीय संस्थापित उत्पादन क्षमता 3,64,960 मेगावाट है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 83,379.50 मेगावाट शामिल है।
- (ii) भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 1,75,000 मेगावाट का महत्वाकांक्षी क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई है।
- (iii) विद्युत चालित वाहन: भारत सरकार विद्युत चालित वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दे रही है। कुछ प्रोत्साहन नीचे दिए गए हैं:

- I. भारत में विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना: भारत में साझा आवागमन के लिए विद्युत चालित वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019-22 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये की कुल निधि आवंटन से चरण-II (एफएएमई-II) योजना की शुरुआत की गई है। विद्युत चालित वाहनों की चार्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
  - II. केन्द्रीय बजट 2019 में परिभाषित प्रोत्साहन:
    - जीएसटी: सरकार ने ईवी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
    - ईवी की खरीद के लिए ऋणों पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट।
    - विशेष रूप से ईवी (ई-ड्राइव असेंबली, ऑन-बोर्ड चार्जर, ई-कम्प्रेसर तथा चार्जिंग गन) में प्रयोग होने वाले पार्ट्स पर सीमा-शुल्क में छूट।
  - III. विद्युत मंत्रालय ने 01.10.2019 को "विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना-दिशानिर्देश और मानक" भी अधिसूचित किए हैं।
- (ग) :** विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी नागरिकों को विद्युत की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- (i) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) स्कीम के तहत भी 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) ने सौ प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण घोषित कर दिया है।
  - (ii) भारतीय विद्युत सिंगल पारेषण ग्रिड आधार पर प्रचालनरत है। अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 4,19,395 सीकेएम पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक), उप केन्द्रों में 9,32,643 एमवीए अन्तरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक) तथा 99,050 मेगावाट अन्तर क्षेत्रीय (आईआर) क्षमता लगभग 183 जीडब्ल्यू की व्यस्ततम मांग को पूरा करती है।
  - (iii) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी की सुविधा के लिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
  - (iv) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उदय योजना की शुरुआत की है।
  - (v) उत्पादन, पारेषण और वितरण में प्रचालनात्मक दक्षता टैरिफ नीति में अधिदेशित निष्पादन आधारित विनियम के जरिये लागत आधिक्य प्रशुल्क तंत्र में प्रगामी रूप से बढ़ाई जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2989

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली की मांग

**2989. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर के गांवों में बिजली की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को उनकी बिजली की मांग में अत्यधिक वृद्धि का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है;
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) उत्तरी चेन्नई में गंभीर बिजली की कमी का सामना कर रहे गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
- (च) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

**(क) और (ख) :** विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। गांवों सहित अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व राज्यों/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का होता है। सभी आवासित जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। गत दो वर्षों अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण **अनुबंध** में दिया गया है। तमिलनाडु के संबंध में, 2014-15 के अंत तक सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण बताया गया है।

देश में बिजली की मांग वर्ष 2017-18 में 1,213,326 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1,274,595 एमयू हो गई है। इसमें देश में गांवों की विद्युत मांग में वृद्धि भी शामिल है।

**(ग) और (घ) :** देश में विद्युत की मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। 31.10.2019 को देश में संस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 3,64,960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

**(ङ) और (च) :** तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टेनजेडको) से प्राप्त सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में कहीं भी बिजली की कमी नहीं है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गत दो वर्षों अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	854	280	1,134
3	असम	572		572
4	बिहार	332	264	596
5	छत्तीसगढ़	348	31	379
6	गुजरात	-	-	-
7	हरियाणा	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
9	जम्मू और कश्मीर	35	62	97
10	झारखंड	613	116	729
11	कर्नाटक	25		25
12	केरल			-
13	मध्य प्रदेश	44	5	49
14	महाराष्ट्र		80	80
15	मणिपुर	77	93	170
16	मेघालय	218	151	369
17	मिजोरम	14		14
18	नागालैंड	2		2
19	ओडिशा	544	381	925
20	पंजाब	-	-	-
21	राजस्थान	1		1
22	सिक्किम	-	-	-
23	तमिलनाडु	-	-	-
24	तेलंगाना	-	-	-
25	त्रिपुरा	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	9	22	31
27	उत्तराखंड	43	30	73
28	पश्चिम बंगाल	5		5
	<b>कुल</b>	<b>3,736</b>	<b>1,515</b>	<b>5,251</b>

\*\*\*\*\*